रेवाडी रोड बस स्टैण्ड स्थित दुकान की शर्तेः–

1 दुकान एक वर्ष के लिए किराये पर दी जाऐगी जो कि जिस दिनांक से अनुबंध पत्र जारी होगा, उस दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।

2 सर्वाधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार को 3 माह का किराया 72 घंटो के अन्दर–अन्दर नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, भारतीय रैड कास सोसायटी, नारनौल के नाम से बैंक तथा कार्यालय में (बैंक अवकाश को छोडकर) जमा करवानी होगी यदि सफल बोलीदाता द्वारा किसी भी कारण से 72 घंटो में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो अग्रिम व् अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी और उसकी बोली रद्ध मानी जाऐगी एंव भविष्य में होनी वाली बोलियों में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाऐगा। साथ ही दूसरे नं0 के उच्चतम बोलीदाता को प्रथम बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली राशि पर ही यदि वह लेने को सहमत हो तो उससे सहमति पत्र के आधार पर ठेका दिया जाऐगा। द्वितीय नं0 के बोलीदाता को बोली की समस्त राशि रैड कास कार्यालय द्वारा पत्र जारी उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर (बैंक अवकाश को छोडकर) नकद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी भी जमा राशि जब्त कर ली जाऐगी।

3 इस ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा 1180/–रूपऐ की फीस राशि Society For IT Initiative Fund For E-Governance, Chandigarh के नाम डी.डी. के माध्यम से रैड कास कार्यालय में जमा करवानी होगी। यह राशि Non Refundable होगी।

4 ई–ऑक्शन में बोलीदाता को 1,00,000/–रू0 बतौर धरोहर राशि बोली से पहले जमा करवानी होगी जो कि डी.डी. के रूप में कार्यालय में जमा करवानी होगी।

5 असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि बोली के 8 दिनों पश्चात वापिस कर दी जायेगी।

6 दुकान का कब्जा बोली के 7 दिनों में लेना अनिवार्य हैं तथा धरोहर राशि किराये में एडजैस्ट नही की जायेगी।

7 दुकान से क्या लाभ/हानि होती हैं यह जिम्मेदारी पूर्णरूप से ठेकेदार की होगी। रैड कास किसी भी हानि की भरपाई नहीं करेगा। यदि ठेकेदार बीच मे दुकान बन्द करता है तो किसी भी प्रकार की राशि वापिस नहीं दी जाऐगी। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।

8 यदि दुकान लेने वाले ठेकेदार को किसी न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हैं तो वह वह इस बोली में भाग नही ले सकते। इस बारे मे बोली से पूर्व शपथ पत्र सचिव, रैड–कास को लिखकर देना होगा।

9 यदि दुकान लेने वाले ठेकेदार के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किमिनल केस दायर/लम्बित है एंव दुकान की समयावधि के दौरान न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उसका ठेका रद्ध कर दिया जाऐगा। सजा सुनाई जाने बारे ठेकेदार द्वारा सचिव, रैड कास को अवगत करवाया जाना अनिवार्य है एंव इस बारे में बोली से पूर्व शपथ पत्र सचिव, रैड–कास को लिखकर देना होगा।

10 बोली की राशि जिस पर सफल बोली छोडी जाऐगी पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि का भुगतान अतिक्ति देय होगा।

11 सफल बोलीदाता को सचिव, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी नारनौल के साथ बोली उपरान्त दुकान के संचालन हेतु शर्तो व् नियमो की पालना सम्बंधित अनुबंध पत्र पंजीकृत करवाना होगा

12 उपरोक्त दुकान की बोली एंव इससे सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव आदि का पूर्ण अधिकार उपायुक्त एंव प्रधान महोदया/महोदय को होगा। साथ ही दुकान के विषय में उनके द्वारा लिए गऐ निर्णय सर्व मान्य होगे।

13 दुकान का किराया प्रतिमाह की 15 तारीख से पूर्व जमा करवाना होगा अन्यथा 50/–रू0 प्रतिदिन या किराया राशि पर 10 प्रतिशत के ब्याज के हिसाब से जो भी अधिक होगा जुर्माना वसूल किया जायेगा।

Balwan Singh

14 यह बोली एक वर्ष के लिए मान्य होगी। एक वर्ष बाद दुकान खाली करनी होगी जिसकी पुनः नीलामी की जायेगी।

15 सफल बोलीदाता को कब्जा लेने से पूर्व 10/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखकर देना होगा अन्यथा जमा राशि जब्त करके बोली रद्द कर दी जायेगी।

16 बिजली व पानी का क्नेकशन बोलीदाता को स्वंय लेना होगा तथा प्रतिमाह के सम्बन्धित बिलों की अदायगी की पूर्ण जिम्मेदारी किरायेदार की होगी तथा भरे गये बिलों की रसीद की छायाप्रति कार्यालय में जमा करवाई जानी होगी।

17 बोली के समस्त नियम व शर्तो की पालना करने वाले कोई भी आमजन व्यक्तिगत या फर्म के तौर पर बोली में हिस्सा ले सकते है।

18 दुकान में शराब का ठेका, मीट की दुकान या अन्य गैर कानूनी व्यापार नही किया जायेगा।

19 दुकानदार दुकान को अन्य किसी को सबलेट नही करेगा तथा किरायेदार का दुकान की छत पर कोई हक नही होगा।

20 दुकान का किराया प्रतिमाह की 15 तारीख से पूर्व जमा करवाना होगा अन्यथा अनुबंध रद्द कर दिया जाऐगा।

21 नीलामी अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22 नीलामी अधिकारी को किसी भी समय इन दुकानों का निरिक्षण करने का अधिकार होगा।

23 सरकार द्वारा किसी भी समय पोलिसी बदलाव से होने वाले लाभ व हानि कि पूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। संस्था द्वारा इसमें किसी प्रकार की राशि को जोडा व घटाया नही जाऐगा।

24 दुकान की न्यूनतम बोली राशि 61,710/–रू0 से शुरू होगी।

25 बोलीदाता को बोली न्यूनतम 5,00 /–रूपऐ बढाकर बोली लगानी होगी ।

26 आर्नलाईन बोली दिनांक 05–02–2025 को प्रातः 10:00 बजे शुरू होगी व सायः 03:00 बजे तक चलेगी। अगर आखिरी 5 मिनट में बोली लग जाती है तो बोली का समय 10 मिनट आगे बढ़ जायेगा।

27 सफल बोलीदाता द्वारा धरोहर राशि के तौर पर जमा करवाई गई राशि किराऐदार को दुकान के शर्तो व नियमों की पालना में पूर्ण एक वर्ष तक सफल संचालन किए जाने उपरान्त निश्चित समयावधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के वापिस की जाऐगी एंव यदि किराऐदार किसी भी कारण से नियम व शर्तो की अवहेलना करता है या समयावधि से पूर्व दुकान खाली करता है तो यह राशि जब्त कर ली जाऐगी।

28 अन्य शर्ते नीलामी अधिकारी की आज्ञा अनुसार।

Balwan ...

Secretary
Indian Red Cross Society
Distt. Branch Narnaul